1- **संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य** :-

निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 का सृजन शासन के आदेश संख्या-148/पी0एस0/89-महिला कल्याण विभाग- 1/89 दिनांक 04 दिसम्बर, 89 द्वारा किया गया, तत्पश्चात् उ0प्र0शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3452/60-1-95 दिनांक 23.08.95 द्वारा समाज कल्याण विभाग से स्थानान्तरित प्रोबेशन संवर्ग सहित 23 योजनायें महिला कल्याण विभाग को हस्तांतरित हुयी।

महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित निम्न अधिनियम एवं याजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है -

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 यथा संशोधित अधिनियम, 2006
2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961
3. उ0प्र0प्रिजिनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938
4. प्रोबेशन आफ अफेण्डर एक्ट, 1958
5. उ0प्र0 अनिवार्य विवाह पजीकरण बिल, 2008
6. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2007
7. घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम-2005
8. अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम-1956
9. हिन्दू एडॉप्शन एण्ड मैण्टीनेंस एक्ट, 1956
10. कमीशन फार प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राईट एक्ट, 2005

**योजनायें :-**

1. पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान योजना
2. पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना
3. 35 वर्ष से कम आयु की पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला से पुर्निविवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार योजना
4. दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक एवं कानूनी सहायता
5. कामकाजी महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न प्रतिषेध

## भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनायें -

1. स्टेप
2. श्रमजीवी महिला छात्रावास
3. स्वाधार / महिला हेल्प लाईन
4. सामान्य सहायता
5. स्ट्रीट चिल्ड्रेन
6. वर्किंग चिल्ड्रेन
7. उज्जवला
8. अल्पावास गृह
9. शिशु गृह

विभाग द्वारा उक्त समस्त अधिनियमों / योजनाओं पर कार्यवाही हेतु कार्यवाही हेतु प्रत्येक जनपद में जिला प्रोबेशन अधिकारी की व्यवस्था है, जो जिलाधिकारी के नियंत्रण / पर्यवेक्षण में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। नीतिगत प्रकरण हेतु निदेशक, महिला कल्याण एवं प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार, उ0प्र0शासन द्वारा कार्यवाही की जाती है।